बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड को0 (निबंधन संख्या–1190248) ग्राम–रामपुर, पो0+थाना–बड़हड़ा, आरा, जिला–भोजपुर द्वारा काली सूची में दर्ज होने के विरूद्ध पुर्नविचार हेतु दायर अपील अभ्यावेदन (दिनांक 12.04.2024) के सापेक्ष सुनवाई के सम्बन्ध में:–

03/07/2024

आदेश

संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड को0 (निबंधन संख्या–1190248) ग्राम–रामपुर, पो0+थाना–बड़हड़ा, आरा, जिला–भोजपुर एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा उपस्थित।

प्रस्तुत मामला का संक्षिप्त इतिहास यह है कि कार्य प्रमंडल, आरा अन्तर्गत योजनाशीर्ष बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 MR-N/22-23 Ara/40 (Tender ID- 122282) जिसके तहत मकदुमपुर से बिंदगॉवा कोइलवर बबुरा पथ के आमंत्रित निविदा में यंत्र–सयंत्र से संबंधित गलत कागजात (प्रमाणक) अपलोड किये जाने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर इन्हें विभागीय आदेश ज्ञापांक **3431** दिनांक **30.06.2023** द्वारा **दस (10) वर्षो** के लिए काली सूची में सम्मिलित किया गया था। उक्त कालीकृत आदेश के विरूद्ध संवेदक रामजी सिंह एण्ड कम्पनी द्वारा अपना अपील अभ्यावेदन दिनांक 07.12.2023 को समर्पित किया गया, तद्आलोक में दिनांक 12.03.2024 को की गयी सुनवाई में पारित आदेश विभागीय ज्ञापांक **1862** दिनांक **09.04.2024** द्वारा **दो (02) वर्षो के लिए कालीकृत** किया गया।

उक्त कालीकृत (Blacklisted) आदेश के विरूद्ध उक्त संवेदक द्वारा पुर्नविचार हेतु अपना अपील अभ्यावेदन दिनांक 12.04.2024 को समर्पित किया गया, जिसमें प्रतिवेदित है कि निविदा में जो पेपर दिया गया था वो Retail Invoice था, जिसका इस निविदा में कोई आवश्यकता नहीं थी। भूलवश वर्ष 2011 में उसका बील इनके आई0डी0 जिससे ये टेन्डर डाला गया है। वह पहले से ही कम्प्यूटर में रक्षित था। जिसे Retail Invoice टेन्डर के साथ भूलवश संलग्न कर दिया गया था। पॉच वर्षो का यंत्र–संयत्र का कोई भी कागजात निविदा में वैध्य नहीं होता है। Retail Invoice दुकान पर जाकर बिना पैसे दिये आमतौर पर लिया जाता है, वो Tax Invoice नहीं होता है। निविदा में समर्पित Tax Invoice सही है। संदर्भित मामले की जॉच अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा के द्वारा भी की जा चुकी है। जिसमें पाया गया कि यंत्र–संयंत्र के रूप में संलग्न India Scientific Corporation से संबंधित कागजात वर्ष 2016 से संबंधित है, जो कि लगभग 08 (आठ) वर्ष पुराना है, जो कि Retail Invoice के रूप में है, जिसका प्रमाणक वर्त्तमान समय में स्पष्ट करना कठिन होगा। उपर्युक्त के आलोक में प्रमाण में अंकित प्रयोगशाला

उपकरणों की भौतिक रूप से जॉच की गयी एवं पाया गया कि अंकित सभी उपकरणों के साथ–साथ अन्य उपकरण भी कार्यकारी स्थिति में है। प्रमाणक के रूप में संलग्न Retail Invoice से संबंधित कागजात निविदा में आवश्यकता नहीं होने के उपरान्त भी अन्य कागजातों के साथ संवेदक द्वारा संलग्न किया हुआ पाया गया। सभी प्रयोगशाला उपकरण जॉच में उपलब्ध पाया गया।

इनके द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर विभागीय आदेश ज्ञापांक 1862 दिनांक **09.04.2024** द्वारा निर्गत आदेश जिसके तहत इन्हें 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत किया गया है उसे निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत मामले में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा के पत्रांक 79 दिनांक 29.01.2024 द्वारा संबंधित यंत्र–संयंत्र एवं प्रयोगशाला सामग्री के जॉच से संबंधित उपलब्ध कराया गया जॉच प्रतिवेदन निम्नवत है:–

1. प्रमाणक में अंकित आपूर्त्तिकर्त्ता के पते की जॉच की गयी जिसमें पाया गया कि यंत्र–संयंत्र की रूप में संलग्न India Scientific Corporation से संबंधित कागजात वर्ष 2016 से संबंधित है, जो कि लगभग 08 (आठ) वर्ष पुराना है, जो कि Retail Invoice के रूप में है, जिसका प्रमाणक वर्त्तमान समय में स्पष्ट करना कठिन होगा।
2. उपर्युक्त के आलोक में प्रमाण में अंकित प्रयोगशाला उपकरणों की भौतिक रूप से जॉच की गयी एवं पाया गया कि अंकित सभी उपकरणों के साथ–साथ अन्य उपकरण भी कार्यकारी स्थिति में है। प्रमाणक के रूप में संलग्न Retail Invoice से संबंधित कागजात निविदा में आवश्यकता नहीं होने के उपरान्त भी अन्य कागजाता के साथ संवेदक द्वारा संलग्न किया हुआ पाया गया। सभी प्रयोगशाला उपकरण इनके पास जॉच में उपलब्ध पाया गया। साक्ष्य स्वरूप Geotag फोटोग्राफ की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है।

अतएव वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर विभागीय आदेश ज्ञापांक **1862** दिनांक **09.04.2024** द्वारा निर्गत आदेश जिसके तहत इन्हें 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklisted) किया गया है उसे निरस्त करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

तदनुसार वाद निष्पादित

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–01–39 / 2023 3790 / पटना, दिनांक 10/7/24

प्रतिलिपिः– संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड को0 (निबंधन संख्या–1190248) ग्राम--रामपुर, पो0+थाना–बड़हड़ा, आरा, जिला–भोजपुर, पिन कोर्ड 802301 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 10/7/2024
(इफ्तेखार अहमद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–01–39 / 2023 3790 / पटना, दिनांक– 10/7/24

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10/7/2024
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक--14 / अ0प्र0–01–39 / 2023 3790 / पटना, दिनांक– 10/7/24

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10/7/2024
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक--14 / अ0प्र0–01–39 / 2023 3790 / पटना, दिनांक– 10/7/24

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 10/7/2024
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–01–39 / 2023 3790 / पटना, दिनांक– 10/7/24

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10/7/2024
सरकार के उप सचिव